Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN: 2581-6241 Volume - 3, Issue - 2, Mar-Apr – 2020
Bi-Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 3.589
Received on : 06/04/2020 Accepted on : 19/04/2020 Publication Date: 30/04/2020

थारू जनजाति: निरन्तरता एवं परिवर्तनशीलता

[1] प्रेमा जोशी, [2] संजय टम्टा
[1] शोध छात्रा, [2] प्रवक्ता, इतिहास विभाग,
एस.एस.जे. परिसर, अल्मोड़ा, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

१ प्रस्तावना :

प्राचीन काल से ही भारत एवं सम्पूर्ण विश्व में अनेक जातियाँ, जनजातियाँ निवास करती चली आ रही हैं, जिनकी अपनी अलग–अलग सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति, रीति–रिवाज व परम्परायें हैं। थारू जनजाति पुरातन समय से ही जंगलों में निवास करने वाली श्रमजीवी अशिक्षित जनजातियों में सम्मिलित है। यह जनजाति उत्तराखण्ड के जनपद ऊधमसिंह नगर का तराई क्षेत्र किच्छा, सितारगंज, खटीमा तहसीलों में मुख्य रूप से निवास करती हैं। इतिहासकारों, विद्वानों द्वारा इनकी उत्पत्ति,जाति एवं पूर्वजों के सम्बन्ध में भिन्न–भिन्न मत दिये हैं,जिसमें से कुछ ने मुगल रक्त एवं द्रविण जाति से सम्बन्धों का उल्लेख किया है, परन्तु इसके कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। थारू जनजाति अपने को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। महाराणा प्रताप से सम्बन्धित अनेकों सबूतों व प्रमाणों को इनके द्वारा बतलाया जाता है कि, इनके एतिहासिक साक्ष्यों में घरों में दरवाजों की नक्काशी, अपने नाम के साथ राणा शब्द का प्रयोग, पहनावे में महिलाओं द्वारा राजस्थानी महिलाओं की तरह का पहनावा आदि को मुख्य आधार माना गया हैं। खानाबदोश, घुमक्कड़ों की तरह स्थान परिवर्तन करने वाली ये जनजाति अन्य जातियों के तराई में आने के बाद धीरे–धीरे स्थायी रूप से गाँवों में रहने लगी। इनके द्वारा स्थान परिवर्तन कर जीवन यापन करने के अनेक कारण रहे जिसमें महामारी, चोर–डाकुओं का भय, अकाल पड़ना आदि प्रमुख थे।थारू बुजुर्गों द्वारा साक्षात्कार में बताया गया कि, पुरातन समय में महामारी, अकाल, चोर–डाकुओं के भय के अलावा अनेक अंधविश्वास भी थारू समाज में व्याप्त थे।

आजादी के बाद भारत सरकार द्वारा इनको जनजाति का दर्जा दिया गया एवं विकास हेतु कानून व योजनायें बनाकर अनेक सुविधायें प्रदान की गयी जिससे वर्तमान में मुख्य धारा में शामिल होने के लिए थारू जनजाति प्रत्येक स्तर पर प्रयासरत हैं।

२ शोध विधि :

थारू जनजाति के जीवन से सम्बन्धित प्रमुख जानकारी एकत्रित करने हेतु खटीमा तहसील के थारू बाहुल्य गाँवों का समय–समय पर अवलोकन किया गया तथा थारू समाज के व्यक्तियों से जनजाति के विभिन्न पहलुओं पर साक्षात्कार किया गया।

३ निष्कर्ष एवं उपसंहार :

प्रस्तुत शोध में थारू जनजाति के विषय में प्राप्त जानकारियों के अनुसार यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत थारू जनजाति की सामाजिक स्थिति को जाति व्यवस्था के विषय में जानने के पश्चात ज्ञात हुआ है कि, ये अपने को अनुसूचित जनजाति में शामिल होने से सम्मानजनक मानते हैं। जनजाति परिवारों के स्वरूप को जानने के पश्चात यह ज्ञात हुआ है कि, पुरातन समय में 95 प्रतिशत संयुक्त परिवार थे एवं 5 प्रतिशत एकांकी। वर्तमान में 64 प्रतिशत थारू जनजाति के परिवार संयुक्त हैं तथा 36 प्रतिशत परिवार एकांकी पाये गये हैं यह भी ज्ञात हुआ है कि 93 प्रतिशत थारू जनजाति परिवारों में मुखिया पुरूष हैं तथा 7 प्रतिशत परिवारों में महिलायें परिवार की मुखिया हैं। अधिकांश थारू परिवारों में भोजन व्यवस्था, बच्चों का लालन–पालन, कढ़ाई–बिनाई, टोकरी, चटाईयाँ आदि बनाने का कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। कृषि कार्य एवं पशुपालन कार्य पुरूष व महिलायें मिलकर करते हैं। पुरूषों का मुख्य कार्य धनोपार्जन, बच्चों की शिक्षा, मकान, पशुओं को चराने के लिए जंगल ले जाना आदि है। गाँवों, रिश्तेदारी में सामाजिक कार्यों में शामिल होना पुरूषों का दायित्व माना जाता हैं।

अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत थारू परिवारों की शैक्षिक स्थिति को जानने के पश्चात यह ज्ञात हुआ है कि वर्तमान में 74 प्रतिशत थारू परिवार शिक्षित हैं। 26 प्रतिशत थारू परिवार अल्प शिक्षित हैं, साथ ही यह भी ज्ञात हुआ है कि शिक्षित

थारू जनजाति में 68 प्रतिशत थारू जनजाति प्राथमिक कक्षाओं (1–5 कक्षा) तक शिक्षित हैं, 23 प्रतिशत 5–12 कक्षाओं तक शिक्षित हैं 9 प्रतिशत उच्च स्तरीय (स्नातक, परास्नातक) शिक्षित हैं। ये कन्याओं की शिक्षा के प्रति जागरूक हैं तथा इससे थारू जनजाति के परिवारों में महिलाओं की वर्तमान दशा में परिवर्तन हुआ है। यह भी ज्ञात हुआ कि, विवाह में दहेज लिया व दिया जाता है। 20.8 प्रतिशत दहेज प्रथा को स्वीकारते हैं तथा 79.2 प्रतिशत दहेज की प्रथा को नहीं मानते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में यह लोग पुनर्विवाह को उचित मानते हैं तथा विवाह विच्छेद को गलत मानते हैं।

अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत थारू परिवारों में आवास सम्बन्धी सुविधाओं से ज्ञात होता है कि 96.5 प्रतिशत थारू जनजाति के पास अपना निजी मकान हैं तथा 3.5 प्रतिशत किराये के मकानों में रहते हैं ,साथ ही यह भी ज्ञात हुआ है कि 93.5 प्रतिशत मकानों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है। क्षेत्र के 7 प्रतिशत मकानों में पीने के पानी की सुविधा तथा 88 प्रतिशत मकानों में शौचालय की सुविधा है। थारू जनजाति के 2 प्रतिशत महिलाओं व पुरूषों द्वारा वेश–भूषा के अन्तर्गत परम्परागत वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है जिसमें अधिकांश बुजुर्ग हैं। वर्तमान में महिलायें साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, पिछौड़ा, शूट–सलवार तथा लड़कियाँ शूट–सलवार, पेन्ट–शर्ट, जीन्स, टीशर्ट आदि आधुनिक पहनावे पहनने लगी हैं। 98 प्रतिशत पुरूष पैन्ट–कोट, कमीज, वास्कट, कुर्ता–पैजामा आदि पहनते हैं।

वर्तमान में सभी थारू जनजाति हिन्दू धर्म व उसकी परम्पराओं को मानते हैं। पुरोहित के रूप में ये लोग ''भरारे'' व पर्वतीय समाज या अन्य समाजों के पुरोहितों को जीवन में किये जाने वाले परम्परागत कर्मकाण्डों में बुलाते हैं। अपनी परम्परागत रीति–रिवाज, संस्कृति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनाते हैं। ये लोग अपने पूर्वजों, प्रेतों, अनेक वनस्पतियों तथा पशुओं की पूजा भी करते हैं। हिन्दू धर्म के राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, हनुमान आदि देवताओं को भी पूजने लगे हैं । इसके अतिरिक्त ये लोग पुरातन काल से ही तंत्र–मंत्र, झाड़–फूक भी करते हैं तथा इनका प्रयोग ये लोग मनुष्य व पशुओं की बीमारी, (लकवा, बाई), फसलों में लगने वाले रोग आदि के उपचार व बचाव के लिए करते हैं।

अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत थारू परिवारों का गाँव से पलायन के विषय में ज्ञात होता है कि 8–9 वर्षों से नई पीढ़ी के परिवार रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए शहरों में पलायन कर रहे हैं। परम्परागत व्यवसाय से जीवन यापन, बच्चों की पढ़ाई व लालन–पालन में कठिनाई होती है।शोध से यह भी ज्ञात होता है कि 27.5 प्रतिशत परिवार परम्परागत व्यवसाय से संतुष्ट हैं तथा 62.5 प्रतिशत परिवार परम्परागत व्यवसाय से संतुष्ट नहीं हैं। परम्परागत व्यवसाय से असंतुष्ट होने का कारण थारू जनजाति की कृषि योग्य भूमि कम होना तथा आर्थिक स्थिति कमजोर होना है। थारू जनजाति परिवारों को सरकार द्वारा संचालित गौर देवी कन्या धन की जानकारी के विषय में ज्ञात होता है कि 95 प्रतिशत थारू परिवारों को इस योजना की जानकारी है तथा 5 प्रतिशत को इस योजना की जानकारी नहीं है। जिन्हें योजना की जानकारी है उनमें से 82 प्रतिशत इस योजना से लाभान्वित हैं तथा 18 प्रतिशत लाभान्वित नहीं हैं। मासिक राशन योजना के विषय में ज्ञात होता है कि 99.5 प्रतिशत थारू जनजाति परिवार इस योजना की जानकारी रखते हैं तथा 0.5 प्रतिशत को इस योजना की जानकारी नहीं है। 98.5 प्रतिशत थारू जनजाति परिवार इस योजना से लाभान्वित है तथा लाभान्वित नहीं होने वाले परिवारों के पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं हैं।

अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत थारू जनजाति के लिए संचालित योजनाओं के विषय में ज्ञात होता है कि वृद्ध एवं विपन्न परिवारों को मासिक पेंशन योजना की जानकारी 95.5 प्रतिशत परिवारों को है तथा 4.5 प्रतिशत परिवारों को इस योजना जानकारी नहीं है। जानकारी रखने वालों में 78.5 प्रतिशत परिवार इस योजना से लाभान्वित हैं।

अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत थारू जनजाति के 66.7 प्रतिशत परिवारों को कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, समाज कल्याण विभाग,उद्यान विभाग, उद्योग विभाग, सूचना एवं सांख्यिकी विभाग, विद्युत विभाग, सिंचाई विभाग, सांस्कृतिक विभाग, तथा अन्य विभागों के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की जानकारी है तथा 43.3 प्रतिशत परिवारों को इन सुविधाओं की जानकारी नहीं है। इन विभागों से मिलने वाली सुविधाओं से लाभान्वित परिवारों का प्रतिशत 42.8 है तथा लाभान्वित नहीं होने वाले परिवारों का प्रतिशत 13.2 है।

थारू जनजाति के सामाजिक, आर्थिक, परम्परागत तथा सांस्कृतिक विधाओं में सुधार हेतु कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं–

- थारू जनजाति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु इनका शिक्षा के प्रति जागरूक होना अति आवश्यक है। इनमें शिक्षा का स्तर बढ़ने से अपनी जनजाति के विकास हेतु जागरूपता बढ़ेंगी, सभी को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की जानकारी होगी जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा लाभप्रद व्यवसायों को अपनाकर थारू लोग अपना जीवन स्तर सुधार सकते हैं।

- परम्परागत व्यवसायों में कृषि एवं पशुपालन कार्यों को करने में लागत के अनुसार मूल्य नहीं मिल पाता है जिस कारण यह जनजाति परम्परागत व्यवसायों के प्रति उदासीन हैं। अतः इनके परम्परागत व्यवसायों हेतु सरकार द्वारा अधिक सुविधायें व छूट देकर प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

- थारू जनजाति की परम्परागत हस्तकला व इनके द्वारा स्व–निर्मित सामानों को समाज के अन्य वर्गों तक पहुंचा कर इनकी हस्तकला को प्रचार प्रसार की आवश्यकता है।

- सरकार द्वारा इनकी परम्परागत संस्कृति को बनाये रखने हेतु प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता व योजनाओं से सभी लाभान्वित हो सकें इस हेतु प्रत्येक परिवार तक सरकारी योजनाओं की पहुंच आवश्यक है।

संदर्भ सूची :

१ एटकिंसन, इ.टी. , (1982) दि हिमालयन गजेटियर कास्मो पब्लिकेशन, दिल्ली।
२ बिष्ट, बी.एस., उत्तरांचल, श्री अल्मोड़ा बुक डिपो, अल्मोड़ा, (1999)
३ ई.बी. टाइलर, (1913) प्राइमिटिव कल्चर-II पार्ट लन्दन।
४ जोशी, योगेश चन्द्र, (2011) थारू जनजाति एक अध्ययन प्रकाशक संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड।
५ जोशी, योगेश चन्द्र, (2000) थारू जनजाति एक अध्ययन शोध प्रबन्ध, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
६ नेगी, विद्याधर सिंह, कुमाऊँ का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास (11वीं से 18वीं) शताब्दी तक, प्रकाशक मल्लिका बुक, दिल्ली।
७ पाण्डे, बद्रीदत्त, (1990) कुमाऊँ का इतिहास, अल्मोड़ा बुक डिपो, अल्मोड़ा।
८ सिंह, नरेश (2015) उत्तराखण्ड के कुमाऊँ मण्डल के ऊधमसिंह नगर के समीपवर्ती क्षेत्रों का नृजातीय पुरातात्विक अध्ययन, थारू जनजाति के विशेष संदर्भ में शोध प्रबन्ध, प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग इलाहाबाद, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
९ उप्रेती, हरिशचन्द्र, (1970) भारतीय जनजातियाँ राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
१० रावत, अजय (1996) तराई के वन तथा वनवासी, सेन्टर फॉर डबपलमेन्ट स्टडीज उत्तर प्रदेश प्रशासन एकादमी, नैनीताल।

Websites:

- FCS.UK.govt.in/R.T.I. manuals-1.28/Sep-2016.
- FCS.UK.govt.in/R.T.I. manual-1.